अनुच्छेद 100 : गणपुर्ती (Corrum)–

➲ किसी भी संसद को कार्यवाई चालू रखने के लिए 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष सदन की कारवाई रोक देते हैं।

Remarks : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तथा CAG इन्हें संसद की अधिकारी कहा जाता है।

संविधान में संसदीय समिति–

➲ संसद को देश का बहुत सारा काम रहता है और उस काम को एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 118 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग-अलग कार्य हेतु अलग-अलग संसदों का एक ग्रुप बना देगा और उन्हें ग्रुप वाइज काम बाँट देगा इन्हीं ग्रुप को हम समिति कहते हैं। ये ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं–

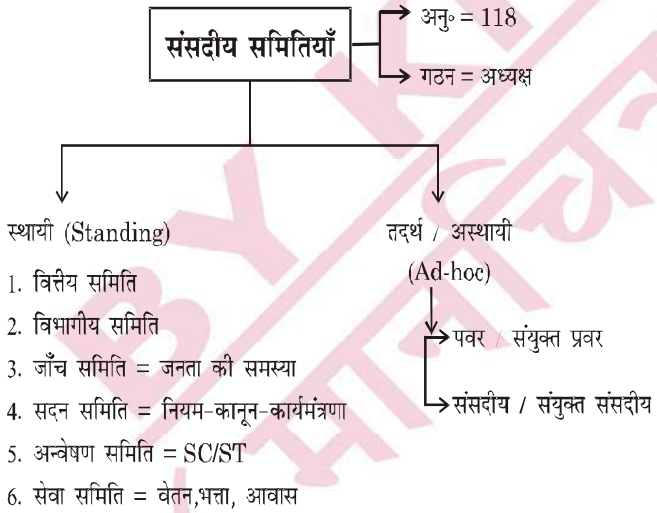

स्थायी (Standing)–

➲ यह प्रत्येक वर्ष गठित होती है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका गठन लोक सभा अध्यक्ष करते हैं।

➲ स्थायी समिति 6 प्रकार की होती है–

1. **वित्तीय समिति**–यह समिति पैसे की जाँच करती है ये तीन प्रकार के होते हैं–

   (i) **प्राकलन/आकलन/Estimate (1950)**–इसका गठन 1950 में हुआ था। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। यह सबसे बड़ी स्थायी समिति है। इसमें कोई भी मंत्रीमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। इसको बजट के बाद लाया जाता है।

   (ii) **लोक लेखा समिति (Public Account commity) (1921)**–जनता का पैसा गलत जगह उपयोग नही हो इसके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन 1921 के अधिनियम जिसे मार्ले मिन्टो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसके तहत किया गया। यह प्राकलन समिति के द्वारा निकाले गए धन की जाँच करती है। इसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य कुल 22 सदस्य होते है। 1967 में एक परंपरा लायी गई जिसमें कहा गया की लोक लेखा समिति जो धन की जाँच करेगी उसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता रहेगा। इसे प्राकलन समिति की जुड़वा बहन (twins sister) कहते हैं। यह CAG के Report की जाँच करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोक सभा अध्यक्ष को देती है।

   (iii) **लोक/सरकारी उपक्रम समिति (1964)**–इस समिति का गठन 1964 में की गई। इसका काम सरकारी कम्पनी जैसे-NTPC, Group-D, BSNL etc कम्पनियों की जाँच करती है।

2. **विभागीय समिति**–विभागीय समिति कई प्रकार की होती है। अलग-अलग विभागों के लिए कुछ विभागीय समिति होती है।

3. **जाँच समिति**–जाँच समिति में जनता की समस्याओं की जाँच के लिए एक समिति बनाई जाती है और उसको लोकसभा के अध्यक्षों को बताती है कि जनता की ये सभी समस्या है और इस प्रकार का विधेयक बनाना चाहिए।

4. **सदन समिति**–सदन समिति की कई समितियाँ होती है। इनका काम सदन के लिए नियम कानून बनाना और किस विधेयक को कितने दिन में पारित करा लेना है इसके लिए समय निर्धारण करना इसी समिति का कार्य है।

5. **अन्वेषण समिति**–इस समिति का मुख्य कार्य SC/ST के बारे में जाँच करना होता है।

6. **सेवा समित**–इसका कार्य संसदों का वेतन, भत्ता, आवास का निर्धारण करना है।

अस्थायी समिति/तदर्थ समिति (Ad-hoc)–

अस्थायी/तदर्थ समिति [Ad-hoc]

1. प्रवर	1.संसदीय
2. संयुक्त प्रवर	2. संयुक्त संसदीय (JPC)

➲ इसका गठन विशेष काम के लिए विशेष परिस्थिति में किया जाता है। जब काम पूरा हो जाता है तो उस काम को पूरा हो जाने के बाद इस समिति को भंग कर दिया जाता है। इसी कारण इसे हम अस्थायी समिति के नाम से जानते हैं। यह दो प्रकार की होती है–(1) प्रवर और (2) संसदीय समिति

(i) प्रवर समिति–

➲ जब कभी किसी विधेयक में बहुत ही ज्यादा विवाद हो जाए तो इस विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष प्रवर समिति का गठन कर देते हैं। यह समित किसी भी विधेयक की बहुत ही गहराई से जाँच करती है। ताकि वह विधेयक की गहन जाँच करे। जैसे CAA
यह कमिटी तीन माह के अन्दर उसकी खामिया और सुधार का रिपोर्ट अध्यक्ष को सौप देती है। दो तरह से इसका गठन किया जाता है–

(i) अगर लोक सीट के लिए अलग और राजसभा के लिए अलग हो तो इसे प्रबर समिति कहते हैं। LS–30, RS–30

(ii) अगर दोनों को मिला कर हो तो इसे संयुक्त प्रवर कहते हैं। LS–30 + RS–15

(ii) संसदीय समिति–इस समिति का काम किसी घोटाले की जाँच करना है। eg. वेफोर्स/राफेल घोटाले की जाँच।

(i) यदि दोनों सदनों का गठन अलग-अलग हुआ हो तो उसे संसदीय समिति कहते हैं। LS–30, RS–30

(ii) यदि दोनों को मिलाकर गठन किया गया हो तो इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) कहते हैं। LS–30 + RS–15 = 45

संसद की कार्यवाही (11am – 6pm)–

संसद की कार्यवाही a(11AM–6PM)

11 — 12	12 — 01	1 — 2	2 — 6
प्रश्नकाल	शून्यकाल	Lunch	चर्चा/प्रस्ताव

→ विशेषाधिकार
→ ध्यानाकर्षण
→ स्थगन प्रस्ताव
→ धन्यवाद
→ निन्दा
→ अविश्वास

➲ संसद जब से काम करना शुरु किया और जब तक उसका कार्य बंद नहीं हुआ इसी बीच के समय को संसद की कार्यवाही कहते हैं। इस खण्ड को दो भाग में बांटते हैं–(1) प्रश्न काल (11–12 am) और (2) शुन्य काल (12 – 1 pm)।

1. **प्रश्नकाल (11–12 am)**–यह नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न पुछे जाते हैं। इस प्रश्न काल में जो भी प्रश्न पुछे जाते हैं उन्हें कम-से-कम 10 दिन पहले सुचना संसद के अधिकारी महासचिव को दी जाती है। इसमें 4 तरह के प्रश्न पुछे जाते हैं। इसमें तीन तरह के प्रश्न सदस्य मंत्री से पुछता है।

(A) तारांकित (Oral)–इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 1 दिन में 20 प्रश्न पुछ सकते हैं और 1 सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पुछ सकता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न भी पुछे जा सकते हैं।

(B) अतारांकित (Written)–इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक दिन में 230 प्रश्न पुछे जा सकते हैं।

(C) अल्प सुचना प्रश्न–इसमें 10 दिन से कम दिनों में सुचना दे सकते हैं और इसका जवाब Oral मिलता है।

(D) गैर सरकारी सदस्य से पुछे जाने वाले प्रश्न–जरूरी नहीं है कि मंत्री से ही प्रश्न पुछे जो मंत्री नहीं है अर्थात गैर सरकारी है उनसे भी प्रश्न पुछ सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र में कौन-सा कार्य किए हैं।

2. **शुन्यकाल (12 – 1) Zero hour**–इसमें बिना सुचना दिए ही प्रश्न पुछे जाते हैं सबसे ज्यादा हंगामा शुन्य काल में होता है। भारतीय मिडिया ने इसका नाम 1962 में शुन्य काल रख दिया।

➲ **Lunch (1 PM – 2 PM) :** संसद में भोजन IRCTC उपलब्ध कराती है।

Note : Lunch के बाद संसदों को बोलने का मौका दिया जाता है, जिन्हें मौका नहीं मिला है।

➲ **संसदीय प्रस्ताव (2 PM – 6 PM)**– Lunch के बाद (2PM–6PM) के बीच का समय होता है उसमें विभिन्न चर्चाएँ तथा प्रस्ताव लाये जाते हैं।

1. **विशेषाधिकार प्रस्ताव**–यह प्रस्ताव कोई भी संसद का सदस्य ला सकता है। यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री उसे अधुरी जानकारी या फिर मंत्री जानकारी छुपा लिया तो इसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। यह अध्यक्ष के सहमती से लायी जाती है। अध्यक्ष को पूरी जानकारी देनी होती है।

2. **ध्यान आकर्षण प्रस्ताव**–यह प्रस्ताव कभी भी कोई सदस्य ला सकता है लोकहित/सार्वजनिक विषय पर संबंधि मंत्री को सुचीत करने के लिए लाया जाता है।

3. **कार्यस्थगन प्रस्ताव :** किसी आपातकालीन या अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा के लिए इसे लाया जाता है। इसे लाने के लिए संसद में चल रही चर्चा को रोक दिया जाता है और आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा किया जाता है। e.g. विदेशी आक्रमण स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम-से-कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इस पर 2½ घंटे चर्चा चलती है।

4. **अल्पकालिन चर्चा**–यह कार्य स्थगन प्रस्ताव के समान ही होता है। इस पर चर्चा 2 घंटे की होती है। इसमें चर्चा सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर होता है। अध्यक्ष द्वारा इसके लिए सप्ताह के शुरुआत का तीन दिन का समय दिया जाता है।

5. **आधे घण्टे की चर्चा**-इसमें सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर चर्चा